

विषय: सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को अधिमान्यता) आदेश 2017 - संशोधन के बारे में।

संदर्भ (I) दिनांक 15.06.2017 का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश संख्या पी.45021/2/2017-बी.ई. II और दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 के इसके संशोधन।

संदर्भ (II) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 25.05.2018, 23.10.2018, 13.03.2020 और 01.06.2020 के आदेश।

डीपीआईआईटी आदेश संख्या पी-45021/2/2017 / बी.ई. II दिनांक 15.06.2017 के द्वारा सरकार ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को अधिमान्यता) आदेश, 2017 जारी किया और बाद में आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहन देने और भारत में वस्तुओं, सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन और काम करने के संवर्धन हेतु दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 के आदेश सं.45021/2/2017/पीपी (बी.ई. II) द्वारा संशोधन किया गया। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने डीपीआईआईटी द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त संदर्भित आदेशों के अनुसरण में रसायन एवं पेट्रोरसायनों के लिए दिनांक 25.5.2018, 23.10.2018, 13.03.2020 और 01.06.2020 को आदेश सं. सीआई-43012/52/2017/रसायन-1 (बी) जारी किए हैं। डीपीआईआईटी द्वारा 16.09.2020 को जारी किए गए संशोधित आदेश को ध्यान में रखते हुए विभाग अब पहले के आदेशों को निरस्त करता है और और डीपीआईआईटी के उपर्युक्त संदर्भित आदेशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा इस आदेश को अधिसूचित करता है।

2. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, नीचे दिए गए 28 रसायनों और पेट्रोरसायन के संबंध में, विभाग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतियोगिता पर्याप्त है और खरीद मूल्य के बावजूद केवल क्लास-1 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता इन 28 वस्तुओं के संबंध में बोली लगाने के पात्र होंगे:-

क्र.सं.	रसायन और पेट्रोरसायन
रसायन	
1.	सोडा ऐश
2.	कास्टिक सोडा
3.	काला कार्बन
4.	फॉर्मलडिहाइड
5.	तरल क्लोरीन
6.	एसिटिक एनहाईड्राइड
7.	नाइट्रोबेंजीन
8.	एसीटैल्डिहाइड
9.	इथाइल एसीटेट
पेट्रोरसायन	
10.	पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न
11.	पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर
12.	एक्सपेंडेबल पॉलिएस्टरीन
13.	पॉलिस्टर चिप्स / पीईटी चिप्स
14.	ब्यूटाडीन
15.	बेंजीन

कीटनाशक	
16.	डी.डी.वी.पी.
17.	मोनोक्रोटोफॉस
18.	फेनवलरेट
19.	साइपरमेथिन
20.	क्लोरपाइरीफोस
21.	लेम्बडा साइहलोथिन
22.	ग्लाइफोसेट
रंजक	
23.	एजो डाइज
24.	एसिड डाइरेक्ट डाइज (एजो के अलावा)
25.	डिस्पर्स डाइज
26.	ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट
27.	कार्बनिक वर्णक
28.	प्रतिक्रियाशील रंजक

3. प्रत्येक खरीद इकाई यादृच्छिक आधार पर और प्राप्त / संदर्भित शिकायतों के लिए स्व-घोषणा और लेखा परीक्षक के / लेखाकार के प्रमाण पत्रों के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन करेगी। किसी विशेष बिंदु पर समिति द्वारा किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर, इस मामले को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में निम्नलिखित समिति को भेजा जा सकता है: -

- i. अपर / संयुक्त सचिव (रसायन) - अध्यक्ष
- ii. पीएसयू / स्वायत्त निकाय के प्रतिनिधि - सदस्य
- iii. डॉ. विशाल चौधरी, उप औद्योगिक सलाहकार - सदस्य
- iv. श्री वरुण सिंह पुनिया, उप औद्योगिक सलाहकार - सदस्य

4. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग इस तरह के स्पष्टीकरण और निर्देश जारी कर सकता है, जो इस आदेश के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

5. सभी परिभाषाएं, अन्य नियम और शर्तें डीपीआईआईटी के दिनांक 16.09.2020 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बी.ई. II) अनुसार होंगी।

6. यह आदेश तुरंत प्रभाव में लागू है और आवश्यकता पड़ने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। संशोधित अधिसूचना जारी होने तक यह अधिसूचना मान्य रहेगी।

समीर कुमार विश्वास

(समीर कुमार विश्वास)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. मंत्रिमंडल सचिवालय
3. प्रधान मंत्री कार्यालय
4. नीति आयोग
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
6. सभी राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
7. सभी रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग संघ
8. सभी राज्य सरकार
9. सभी सी.पी.एस.ई.
10. आंतरिक वितरण